Website:- www.dipronline.org email:-
projjn@rediffmail.com,

राजस्थान सरकार

सूचना एवं जनसम्पर्क कार्यालय,झुंझुनू

अब तक 169 चिकित्सा कर्मियों को 17 सी.सी.ए. के नोटिस जारी

झुंझुनू, 4 जूनः जिला प्रशासन के अधिकारियों द्वारा कई बार आकस्मिक जांच में चिकित्सा कर्मियों का ड्यूटी मुख्यालय पर नहीं रहना और ग्रामीणों व जन प्रतिनिधियों द्वारा भी चिकित्सा कर्मियों का ड्यूटी स्थल पर न रहकर सहीं ढंग से ड्यूटी को अंजाम नहीं देने की शिकायतों को ध्यान में रखते हुए चिकित्सा विभाग द्वारा अब तक 169 चिकित्सा कर्मियों को 17 सी.सी.ए. के नोटिस जारी किए हैं।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ. आर.बी. सिंह ने बताया कि खेतड़ी, चिड़ावा व उदयपुरवाटी चिकित्सा उपखण्ड में वहां के ब्लॉक सी.एम.एच.ओ. द्वारा की गई रिपोर्ट के आधार पर 141 चिकित्सा कर्मियों को 17 सी.सी.ए. के नोटिस व एन.आर.एच.एम. तथा संवीदा पर नियुक्त 28 ए.एन.एम. व अन्य को कारण बताओ नोटिस जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि जो चिकित्सा कर्मी संविदा पर लगे हुए हैं और वे ड्यूटी मुख्यालय पर नहीं रह रहे हैं, ऐसे कार्मिकों की सेवाएं समाप्त करने की कार्रवाई प्रांरभ की जाएगी। उन्होंने बताया कि उदयपुरवाटी ब्लॉक में ड्यूटी मुख्यालय पर नहीं रहने वाली 40 नियमित प्रसाविकाएं, 5 एल.एच.वी., 7 नर्स ग्रेड-2, तीन लेबटेक्निशियन, एक नर्स ग्रेड-1 को 17 सी.सी.ए. के नोटिस जारी किए गए हैं, जबकि एन.आर.एच.एम. के तहत कार्यरत तीन आयुष कम्पाउण्डर, 14 जी.एन.एम., तीन ए.एन.एम. तथा संविदा पर नियुक्त 8 ए.एन.एम. को कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं।

उन्होंने बताया कि उदयपुरवाटी खण्ड में उदयपुवाटी, गुढ़ागौड़जी, छापोली, गिरावड़ी, मण्डावरा, पचलंगी, पापड़ा, पौंख, चंवरा, मैनपुरा, बड़ागांव, हेमन्तपुरा, नंगली गुजरान, टीटनवाड़ व भोड़की में एन.आर.एच.एम. योजना में नियोजित 21 कार्मिकों को व संविदा पर नियोजित इन्द्रपुरा, भाटीवाड़, नंगली गुजरान, नाटास, किशोरपुरा, गुड़ा, ककराना व गिरावड़ी में पदस्थापित ए.एन.एम. को ड्यूटी मुख्यालय पर नहीं रहने के कारण नोटिस जारी किए गए हैं।

इसी प्रकार इस खण्ड में चिकित्सा विभाग के बास बिसना, चक नांगल, सीथल, नेवरी, गुड़ा, किशोरपुरा, खेदड़ा की ढाणी, ककराना, बासड़ी, छऊ, किरपुरा, कैरोठ, धनावता, भोजगढ़, गिरावड़ी, मैनपुरा, बड़ की ढाणी, केड़, हरिपुरा, बामलास, खरबासां की ढाणी, शिवनाथपुरा, खींवासर, टोड़ी, खोह, धोलाखेड़ा, दीपपुरा, रघुनाथपुरा, गढ़ला कलां,

कोट, हेमन्तपुरा, भाटीवाड़, गुमाना का बास, टीटनवाड़, मण्डावरा, चंवरा, पोंख, छापोली, धमोरा, बड़ागांव, इन्द्रपुरा, गुढ़ा गौड़जी, पोषाना, दुडिया व बिजारणिया की ढाणी की ए.एन.एम., जी.एन.एम., एल.एच.वी., मेल नर्स-2 के नियमित कर्मचारियों को 17 सी.सी.ए. व कारण बताओ नोटिस जारी किए गए हैं। उन्होंने बताया कि चिड़ावा खण्ड क्षेत्र में भडौन्दा कलां, सुलताना, चनाना, अरडावता, सोलाना, जखोड़ा, पदमपुरा, बख्तावरपुरा, मण्ड्रेला आदि चिकित्सा केन्द्रों के ए.एन.एम. व एल.एच.वी. को भी 17 सी.सी.ए. के नोटिस जारी किए गए हैं।

.....2....

10 दिन में 103 पंचायत मुख्यालयों पर कृषि ज्ञान व आदान शिविरों का आयोजन

झुंझुनू, 4 जून: कृषि विभाग द्वारा राज्यव्यापी अभियान के दौरान जिले में अगले 10 दिन में जिले की आठों पंचायत समिति के 103 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर कृषि ज्ञान एवं आदान शिविरों का आयोजन 15 जून तक किया जाएगा। विभाग के उप निदेशक राजेश कुमार नैनावत ने बताया कि 5 जून को बाकरा, ढिलसर, डूमरा, ककराना, बजावा, गिडानिया, मोड़की, मांकड़ो, नंगली सलेदीसिंह, 6 को कासिमपुरा, गांगियासर, कैरू, नेवरी, छावसरी, सोलाना, बनगोठड़ी, गाडाखेड़ा, बडाऊ, 7 को कुलोद कलां, माखर, झटावा खुर्द, चैलासी, मैनपुरा, बामलास, केहरपुरा कलां, खेड़ला, गुजरवास, थली, लोयल, 8 को बुडाना, महनसर, माण्डासी, पौंख, टीटनवाड़, भडौन्दा कलां, लिखवा, खानपुर, शाहपुर, मानोता कलां, 9 को बास नानग, भीखनसर, ढिगाल, पचलंगी, छऊ, किशोरपुरा, ढंढारिया, डूमोली खुर्द, गुंती, तातीजा, 10 को खाजपुरा नया, प्रतापपुरा, टांई, जेजूसर, जोधपुरा, हांसलसर, गोवला, बेरी, रायपुर अहिरान, रवां, 11 को इस्लामपुर, पाटोदा, डूण्डलोद, गुड़ा, केड, सारी, मोरवा, डूमोली कलां, रसूलपुर, 12 को पातुसरी, उदावास, दिलोई दक्षिण, सोटवारा, सराय, भोड़की, चनाना, हमीनपुर, पचेरी खुर्द, पचेरी कलां, जसरापुर, 13 को जयपहाड़ी, बिरमी, घोड़ीवारा कलां, पापड़ा कलां, सिंगनोर, सुलताना, फरट, मुरादपुर, हरड़िया, 14 को पुरोहितों की ढाणी, चुड़ेला, पबाना, दुड़िया, नारी, भगीना, सिंघाना, राजोता तथा 15 जून को इण्डाली, हंसासर, कसेरू, जीणी, काजड़ा, ढांढोत कलां तथा चारावास में कृषि ज्ञान व आदान शिविरों का आयोजन किया जाएगा।

जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना

झुंझुनू, 4 जून: जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने एक आदेश जारी करके आपदा प्रबन्धन के दृष्टिकोण से संभावित अतिवृटि को ध्यान में रखते हुए जिला मुख्यालय पर कलेक्ट्रेट के कमरा नम्बर 114 में दूरभाष

नम्बर 232237 एवं 1077 पर चौबीसों घण्टे जिला आपदा नियंत्रण कक्ष की स्थापना की है। अपर कलेक्टर के.एल. मीणा ने बताया कि कमरा नम्बर 114 में पूर्व से संचालित राहत हैल्प लाईन में नियोजित कार्मिकों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने कार्य के साथ-साथ जिला आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष का कार्य भी संपादित करेंगे। नियंत्रण कक्ष का प्रभारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के सहायक निदेशक मनफूल सिंह को बनाया गया है, जिनके मोबाइल नम्बर 9413567312 हैं। जिला कलेक्टर ने जिले के सभी तहसीलदारों एवं विकास अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वे सभी अपने-अपने कार्यालयों में चौबीसों घण्टे आपदा प्रबन्धन नियंत्रण कक्ष की स्थापना करना सुनिश्चित करें।

नरेगा योजना की जानकारी विभागीय वेबसाइट पर उपलब्ध

झुंझुनू, 4 जूनः ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग द्वारा राज्य स्तर से प्रकाशित नरेगा अधिनियम 2005 हिन्दी एवं अंग्रेजी व सरपंचों के लिए जारी नरेगा कार्य निर्देशिका को नरेगा राजस्थान की विभागीय वेब साइट पर उपलब्ध कराया गया है। अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.एन. मथूरिया ने बताया कि इस वेब साइट पर गत 31 दिसम्बर तक भारत सरकार द्वारा किए गए संशोधनों को शामिल करते हुए विभागीय वेब साइट rdprd.gov.in संबंधित लिंक NREGS राजस्थान पर Manuals & Other Publications नाम से उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सरपंचों के लिए नरेगा कार्य निर्देशिका भी इसी वेब साइट पर उपलब्ध है। इन पुस्तिकाओं में वर्णित दिशा निर्देशों का उपयोग नरेगा कार्यो के सफल क्रियान्वयन के लिए समय-समय पर किया जा सकता है।

.....3...

राज्य में एक अगस्त से प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित करने का निर्णय

झुंझुनू, 4 जूनः राज्य सरकार ने आगामी एक अगस्त से राज्य में प्लास्टिक कैरी बैग्स को प्रतिबन्धित करने का निर्णय लिया है और इस आशय की अधिसूचना का प्रारूप राजपत्र में गत 14 मई को अधिसूचना के रूप में प्रकाशित किया जा चुका है। प्रमुख शासन सचिव वी.एस. सिंह द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार इस निर्णय से प्रभावित होने वाले समस्त व्यक्तियों व अन्य से कहा गया है कि अगर किसी को अधिसूचना के प्रकाशन संबंधी आक्षेप या सुझाव देना है तो वे आगामी 18 जून तक प्रमुख शासन सचिव पर्यावरण एवं वन विभाग को प्रेषित करें। नियत अवधि के पश्चात प्राप्त होने वाले आक्षेप व सुझावों पर विचार नहीं किया जाएगा। 18 जून तक प्राप्त होने वाले सुझावों व आक्षेपों का निस्तारण करने के बाद प्लास्टिक कैरी बैग्स को राज्य के सभी जिलों में आगामी एक अगस्त से प्रतिबंधित किए जाने की अधिसूचना जारी की जाएगी।

जिला कलेक्टर आलोक गुप्ता ने इस आशय के निर्देश देते हुए जिले के सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, विकास अधिकारी, नगरपालिकाओं के अधिशासी अधिकारियों, शिक्षा,

पुलिस व वन विभाग के अधिकारियों से कहा है कि वे जिले में व्यापक रूप से इस आशय का प्रचार-प्रसार करावें ताकि प्राप्त सुझावों व आक्षेपों का निस्तारण शीघ्र किया जा सके।

बीमा धन के एक लाख व फीस के 37 हजार रूपये व हर्जा-खर्चा देने के आदेश

झुंझुनू, 4 जूनः जिला उपभोक्ता मंच ने चाहरों का बास तन परसरामपुरा की परिवादी श्रीमती मुन्नी देवी का परिवाद स्वीकार करते हुए परिवादिया को बीमा धन के एक लाख रूपये व मोटर साईकिल की मरम्मत पर खर्च 4 हजार 67 रूपये आवेदन की तिथि से वसूली तक 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित दो माह में अदा करने के आदेश दी ऑरियन्टल इंशोयोरेन्स कम्पनी को दिए हैं। आदेश में परिवादिया को मानसिक एवं शारीरिक संताप के डेढ़ हजार रूपये तथा परिवाद व्यय के एक हजार रूपये भी विपक्षी से हासिल करने को कहा है। मंच ने एक अन्य आदेश में राजस्थान पब्लिक उच्च माध्यमिक विद्यालय बिसाऊ को बाला का बास के मुकेश कुमार को 37 हजार एक सौ रूपये फीस के रूप में वसूल किए गए वापस लौटाने को कहा है। परिवादी को यह शैक्षणिक संस्थान प्रार्थना पत्र की तिथि से एक माह के अन्दर 9 प्रतिशत ब्याज सहित भुगतान करेगा। मंच ने परिवादी को मानसिक व शारीरिक संताप व परिवाद व्यय के रूप में 5 हजार रूपये प्राप्त करने का अधिकार भी दिया है।

नरेगा योजना के सजावटी विज्ञापन जारी नहीं करने के निर्देश

झुंझुनू, 4 जूनः राज्य सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजागर गारण्टी योजना के तहत आई.ई.सी. गतिविधियों में ऐसे सजावटी विज्ञापनों पर रोक लगाई है जिनमें नरेगा योजना की जानकारी नगण्य एवं योजना से जुड़े कार्मिकों व जन प्रतिनिधियों के नाम मय फोटो सहित सजावटी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशिता होते है। सरकार ने ऐसे सजावटी विज्ञापनों को योजना के धन का अपव्यय माना है।

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी जे.एन. मथूरिया ने सभी उपखण्ड मजिस्ट्रेट, तहसीलदार एवं विकास अधिकारियों को निर्देशित किया है कि भविष्य में ऐसे विज्ञापन जिला परिषद, पंचायत समिति एवं ग्राम पंचायत स्तर पर जारी नहीं किए जाएं। अगर योजना के हित में ऐसे सजावटी विज्ञापन जारी करने आवश्यक हो तो राज्य सरकार से पूर्व अनुमति प्राप्त करने के बाद ही समाचार पत्रों को विज्ञापन जारी किए जा सकेंगे। बिना अनुमति के कोई भी सजावटी विज्ञापन जारी किया जाएगा तो उसका समस्त उत्तरदायित्व संबंधित अधिकारी का होगा।